

प्रेषक,

सचिव,  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,  
उ०प्र०, प्रयागराज।

अति महत्वपूर्ण/शीर्ष वरीयता

सेवा में,

1. प्राचार्य  
सी०टी०ई० वाराणसी।
2. समस्त प्राचार्य,  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
उ०प्र०।
3. समस्त प्रबंधक/सचिव/प्राचार्य  
निजी डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थान  
उ०प्र०।

पत्रांक : गोप०/डी०एल०एड० 2021/ 3123-3222 /2021-22 दिनांक : 27 सितम्बर, 2021  
विषय : डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया हेतु शासनादेश सं० 752/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 21.09.2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी एवं शासनादेश सं० 426/68-4-2019-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुपालन में डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2019 द्वारा काउंसलिंग सम्पादित करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों की मेरिट/स्टेट रैंक के सापेक्ष एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के क्रम में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया गया है। ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच एवं चयन/प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 में ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये शैक्षिक गुणांक के आधार पर उनकी मेरिट एवं स्टेट रैंक के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा उनकी मेरिट एवं भरे गये विकल्प के वरीयता क्रम में ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच और प्रवेश सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है-

क्र०स०	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	22 सितम्बर 2021 (सायं) से 24 सितम्बर 2021 तक	रैंक 000001 से 30000 तक	25 सितम्बर 2021	27 सितम्बर 2021
02	25 सितम्बर 2021 (सायं) से 27 सितम्बर 2021 तक	रैंक 30001 से 100000 तक एवं (क्रम सं० 01 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम सं० 01 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।)	28 सितम्बर 2021	से 04 अक्टूबर 2021 सायं 05:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
03	28 सितम्बर 2021 (सायं) से 30 सितम्बर 2021 तक	रैंक 100001 से 240154 तक एवं (क्रम सं० 01 एवं 02 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम	01 अक्टूबर 2021	





	सं0 1 व 2 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। )	
03	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करने की अंतिम तिथि (नोट— निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट <a href="https://updeled.gov.in">https://updeled.gov.in</a> पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा )	04 अक्टूबर 2021
05	प्रशिक्षण प्रारम्भ	11 अक्टूबर 2021

2. उक्त समय सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही, प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थानों द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2021 से 04 अक्टूबर 2021 (सायं 05:00 बजे) तक सम्पादित करायी जायेगी।
3. प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट [updeled.gov.in](http://updeled.gov.in) पर उपलब्ध College Login पर जाकर Login\_id तथा Password की सहायता से अपने संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवंटित अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन वेबसाइट के Alloted and Vaccant result ऑप्शन पर भी किया जा सकता है।
4. प्रदेश के समस्त संस्थानों (डायट/निजी संस्थान) को वेबसाइट [updeled.gov.in](http://updeled.gov.in) पर प्रथम बार लॉगिन हेतु लॉगिन आईडी SAInstitute\_Code तथा पासवर्ड PAInstitute\_Code होगा। उदाहरण के लिए यदि संस्थान का कोड 010200 तो उक्त संस्थान के लिए लॉगिन आईडी SA010200 तथा पासवर्ड PA010200 होगा।
5. उक्त लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन करने के पश्चात् संस्थान को नवीन Password बनाना होगा। Password बनाये जाने के उपरान्त बनाये गये नवीन Password की मदद से ही, प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।
6. अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को रू0 10,000 (दस हजार मात्र) का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा किए गये भुगतान का ट्रांजेक्शन सफल होने पर अभ्यर्थी अपना संस्थान आवंटन पत्र (Allotment Letter) डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे।
7. अभिलेखों की जॉच के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन संस्था आवंटन पत्र (Allotment Letter) के साथ, डी0एल0एड0 2021 के ऑन लाइन आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने पर एवं उनका नाम प्रशिक्षण संस्थान की लॉगिन में प्रदर्शित होने पर उनके अभिलेखों की जॉच सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जॉच हेतु अभ्यर्थी के पास रू0 10,000 का भुगतान किये जाने के उपरान्त प्रिन्ट किये गये संस्था आवंटन पत्र का होना अनिवार्य है।
8. वर्ष 2021 में स्नातक उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 एवं आगामी वर्षों में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश सं0 426/68-4-2019-2067/2013 दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करते हैं वह डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- 9- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 15.09.2021 के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15.09.2021 तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।



10. प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षित/विशेष आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित किया गया हो, पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य संगत अभिलेखों की जाँच के उपरान्त प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखीय जाँच का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है।
12. अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के जाँचोपरान्त यदि उनके Gender पुरुष/महिला एवं अन्य विवरण (प्राप्तांक/पूर्णांक को छोड़कर) में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है तो उनके वास्तविक अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।
13. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि उनके मूल अभिलेखों के अनुसार पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट अधिक है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण कम मेरिट अंकित किया गया है एवं अभ्यर्थी कम गुणांक के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु इच्छुक है तो अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।
14. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों में अंकित पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट कम है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण अधिक मेरिट अंकित किया गया है तो अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में, सम्बन्धित अभ्यर्थी के वर्ग/श्रेणी में आवंटित अंतिम अभ्यर्थी के कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत अभ्यर्थी का गुणांक होने पर उन्हें प्रवेश हेतु सम्मिलित किया जा सकता है।
15. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभिलेखों की जाँच के साथ-साथ प्रवेश की कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु अभिलेखों की जाँच की तिथि से प्रवेश की अंतिम तिथि **04 अक्टूबर, 2021 सायं 05:00 बजे तक** का अवसर दिया जायेगा। निजी संस्थानों हेतु शासनादेश सं० 1441/15-11-2014 दिनांक 10.09.2014 के बिन्दु सं० 10 द्वारा प्रतिवर्ष **₹ 41000 (इकतालिस हजार मात्र)** तथा प्रदेश के डायट हेतु शासनादेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा **₹ 10,200 (दस हजार दो सौ रुपये मात्र)** प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित है।
16. अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से ₹ 10,000 (दस हजार मात्र) की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करा ली गयी है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये ₹ 10,000 (दस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए शेष धनराशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा करायी जायेगी। यानि कि निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से **₹ 31000 (इकत्तीस हजार ₹ 0 मात्र)** एवं प्रदेश के डायट द्वारा **₹ 200 (दो सौ ₹ 0 मात्र)** अभ्यर्थियों से **प्रशिक्षण शुल्क** जमा कराये जायेंगे।
17. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश को वेबसाइट **updeled.gov.in** पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर दिनांक **04 अक्टूबर 2021 तक** ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करना अनिवार्य है। अतः ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक **04 अक्टूबर 2021 तक** प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट **https://updeled.gov.in** पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किया जायेगा, उन्हें काउंसलिंग के अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे, एवं इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे।
18. शासनादेश दिनांक 25.06.2019 के प्रस्तर 9 के कॉलम 01 वाले डायट जनपदों के अभिलेखीय जाँच/प्रवेश/चयन की कार्यवाही कॉलम 02 वाले जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जायेगी।



19. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय अंकित प्रविष्टियों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करने के पश्चात् सही पाने की स्थिति में **मूल अभिलेख** तथा उनकी **दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियों** के सेट एवं निजी संस्थानों हेतु शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं राजकीय संस्थानों हेतु शासनादेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा **निर्धारित फीस डिमांड ड्राफ्ट/सी0बी0एस0** द्वारा जमा करायी जायेगी।
20. निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों में से अभिलेखीय जाँच के दौरान अर्ह पाये जाने अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के एक सप्ताह के उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों की सूची, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों के आवेदन सम्बन्धित समस्त संगत अभिलेख अपने जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करायी जायेगी।
21. सम्बन्धित प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह निजी संस्थानों में आवंटित एवं निजी संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग/श्रेणी, आवेदन, शैक्षिक अभिलेखो (निर्गत करने वाली संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय की मान्यता) इत्यादि की जाँच भली-भाँति कर ली जाय। किसी भी अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर तत्काल उसकी सूचना से सम्बन्धित निजी संस्थान को अवगत कराते हुए अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जाय, साथ ही सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी अनर्ह अभ्यर्थी के प्रवेश लिये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशिक्षण संस्थान एवं डायट का होगा।
22. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक किये गये प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी रू0 10,000 का शुल्क जो संस्था आवंटन के पूर्व लिया गया था वह प्रशिक्षण संस्थान के एकाउंट खाते में NEFT/RTGS के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
23. यदि प्रवेश हेतु संस्तुत अभ्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होते हैं तो सम्बन्धित कालेज में काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर अन्य अभ्यर्थी संस्तुत किये जायेंगे। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटें भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान वेबसाइट [updeled.gov.in](http://updeled.gov.in) को प्रतिदिन अपडेट (अद्यतन) करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या इस प्रकार प्रदर्शित करते रहें, जिससे इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को प्रतिदिन होती रहे।
24. समस्त डायट एवं प्रशिक्षण संस्थान अभ्यर्थियों के चयन/प्रवेश की कार्यवाही करते हुए यह पुष्टि अवश्य कर लें कि प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 25.06.2019 तथा कार्यालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार अर्ह हो। कोई भी अनर्ह अभ्यर्थी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 में चयन/प्रवेश न लेने पाये। अभ्यर्थियों के शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र आदि को गहनता पूर्वक जाँच लिया जाये।
25. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चयनित अभ्यर्थी के ई-आवंटन पत्र एवं ई-आवेदन पत्रों की छायाप्रतियां उल्लिखित संलग्नकों सहित श्रेणीवार सेट बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।
26. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों यथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्धता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा चयनोपरांत प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाण-पत्रों तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन निर्गमन संस्था से अनिवार्य रूप से तत्काल करा लिया जाये।
27. एन0सी0टी0ई0 से डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा **अल्पसंख्यक संस्थान** घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा आवंटित सीटों (एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीट संख्या) के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीटों पर शासनादेश सं0 426/68-4-2019-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश एवं शासनादेश सं0 752/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 21.09.2021 द्वारा निर्धारित समय-सारिणी, शैक्षिक अर्हता एवं आयु के अनुसार तथा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत सीटों पर



अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी प्रदेश के डायट/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारम्भ होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश हेतु कोई भी अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।”

28. अभिलेखीय जाँच/प्रवेश के समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाय –

- आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया जायेगा, अर्थात् 01 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार “यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।”, देय होगी।
- डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं CBSE (सी.बी.एस.ई.)/ ICSE (आई.सी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

शासनादेश सं0 7/2016/720/15-7-2016 शिक्षा अनुभाग- 7, दिनांक 20.05.2016 द्वारा इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद, विनियमों के अध्याय बारह (परीक्षा संबंधी समान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्षता प्रदान की गयी है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इन्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा अपनी हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष अन्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्य की जाने वाली संस्थाओं की सूची संलग्न है। उक्त सूची का अवलोकन मा0शि0प0 की वेबसाइट [upmsp.edu.in](http://upmsp.edu.in) पर किया जा सकता है।

- अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्ही का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गयी सूचना से भिन्न सूचना को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन लिया जायेगा।

- अभिलेखीय जाँच के समय अभ्यर्थी को ई-आवंटन पत्र के साथ, डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 का ऑन लाइन आवेदन पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण/विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में डी0एल0एड0 2021 के ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 में अभिलेखों की जाँच एवं प्रवेश की कार्यवाही सभी जनपदों में निर्धारित समयावधि के अनुसार पूर्ण होना है। प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण विलम्बित होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अतः उक्त के अनुसार चयन की कार्यवाही समयबद्धरूप से पारदर्शिता तथा शुचितापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक : शासनादेश।**

पृ0सं0/गोप0/डी0एल0एड0-2021/

3123-3222

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ सादर प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

भवदीय

सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,  
उ0प्र0, प्रयागराज

/2021-22 तददिनांक।

सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,  
उ0प्र0, प्रयागराज